

फर्द अहकाम


SDO शाहपुरा (जयपुर जिला)

नीचे दी बनाम ईश्वर चंद

दिनांक / वर्ष

19 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/3/24	<p>पञ्जावली पैरा 2 की वकील आर्षी उपस्थित। वकील आर्षी द्वारा अध्याई निवेदाओं हेतु एक पक्षीय बहस बुनी गई। पञ्जावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किता एवं बहस पर मनन किता गया। राजस्व बिक्री के अवलोकन से भट स्पष्ट होता है कि विक्रीत आराजी रपसरा नम्बर 297/0115, 298/0.56, 346/0.11 हैं कुल किता 3 कुल बरबा 0.82 हैं वकि आरम साईकाइ (रठ शाहपुरा का आर्षीमा बिक्रीई रकतेदार कावतकार नही है) इसलिए पक्षत वृत्तयता मादली आर्षीमा के पक्ष में साबित होना नही पाता गया। बिक्रीई रकतेदार कावतकार नही होने के कारण अपूर्ण शति एवं सुविधा का संतुलन भी आर्षीमा अपने पक्ष में साबित करने में सफल नही रहा। अतः आर्षी का आर्षना पक्ष कावत अध्याई निवेदाओं सरतीन होने के कारण रवारिज किता जाता है। पञ्जावली फौसल बुकर होकर नम्बर से कम है। एवं भूल वाड के लपलित रहे।</p>	


 उप खण्ड अधिकारी
 शाहपुरा जिला जयपुर